फैक्स/विशेष संदेशवाहक/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2018 दिनांक: 23 जनवरी, 2018

सेवा में

1. मत्रिमंडल सचिव,
   भारत सरकार,
   राष्ट्रपति भवन,
   नई दिल्ली।

2. सचिव, भारत सरकार,
   कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,
   सरदार पटेल भवन,
   नई दिल्ली।

3. मुख्य सचिव,
   ओडिशा सरकार
   भुवनेश्वर।

4. मुख्य निर्वाचन अधिकारीः
   ओडिशा,
   भुवनेश्वर।

विषय: उप निर्वाचन - सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।

महोदय,

मुझे, आयोग के दिनांक 23 जनवरी, 2018 के प्रेस नोट जिसमें ओडिशा की राज्य विधान सभा में आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु उप-निर्वाचन की अनुसूची की घोषणा की गई थी (ईसीआई की वेबसाइट:-**"http://eci.nic.in/"** पर उपलब्ध) को संदर्भित करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि उप निर्वाचन की घोषणा के साथ ही राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करने के संबंध में मामलों पर आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के पत्र संख्या 437/6/अनु/2016-सीसीएस जो कि उप निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के संबंध में है, के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी जो कि अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित करता है कि -

क) जिले (जिलों) के ऐसे किसी भी भाग में, जहां विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अवस्थित है और जहां निर्वाचन प्रक्रियाधीन है, सांसद (राज्य सभा सदस्य सहित) स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियां जारी नहीं की जाएगीं। यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/मेट्रोपोलिटन शहरों/नगर निगमों में निहित है तो उपर्युक्त अनुदेश केवल सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू होंगे। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी।

ख) ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए हैं परन्तु फील्ड में वास्तव में काम शुरू नहीं हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।

ग) पूरे हो गए कार्य(यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्ट हों।

घ) जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं तथा निधियां उपलब्ध करा या जारी कर दी गई हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्थल पर पहुँच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं।

भवदीय,

ह./-

(नरेन्द्र एन. बुटोलिया)

प्रधान सचिव